



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था)



104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

website : <http://www.upavp.com> e-mail : upavp@sancharnet.in

संख्या:- 864/एल0ए0सी0/एच0क्यू0

दिनांक:12/04/2010

नोटिस

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद द्वारा "हरिद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 ऋषिकेश, देहरादून" नामक आवासीय योजना, जिसका उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 तथा धारा-32(1) के अन्तर्गत प्रथम प्रकाशन क्रमशः 22 सितम्बर 1973 के उ0प्र0 गजट के भाग-8 के पृष्ठ संख्या-1492-1493 तथा 14 जनवरी 1989 के भाग -8 के पृष्ठ संख्या 05 पर हुआ था, को उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-84/8-2-10-29 भू0 अ0 /08 दिनांक -27.01.10 द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अनुपालन में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा-33 (2) के अन्तर्गत मा0 परिषद की 213वीं बैठक दिनांक 26.3.10 में विज्ञप्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

(दीपक कुमार)
आवास आयुक्त